



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062020-220273
CG-DL-E-30062020-220273

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2020/आषाढ 9, 1942

No. 158]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2020/ASHADHA 9, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2020

सं. 11/2015—2020

विषय : पूर्व-पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की मान्यता की वैधता का विस्तार।

फा.सं. 01/53/8/एएम20/पीएसआईए—2/आईसी।—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2015—20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.55 (घ) में यथा प्रदत्त प्रावधान में छूट देते हुए निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:—

विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र (ए एंड एनएफ) के परिशिष्ट 2छ में शामिल पूर्व-पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की मान्यता की वैधता, जो 30.06.2020 को अथवा उससे पहले अपनी मूल या विस्तारित अवधि पूरा करने जा रही है, को 30.09.2020 तक बढ़ाया जाता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:—

ए एंड एनएफ के परिशिष्ट 2छ में यथा सूचीबद्ध पूर्व-पोतलदान निरीक्षण अभिकरणों (पीएसआईए) की मान्यता की वैधता, जो 30.06.2020 को अथवा उससे पहले समाप्त हो रही है, को 30.09.2020 तक बढ़ाया जाता है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**New Delhi, the 30th June, 2020**No. 11/2015-2020****Subject : Extension of validity of Recognition of Pre-shipment Inspection Agencies (PSIAs)**

F. No. 01/53/8/AM20/PSIA-2/IC.— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-20) read with paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, the Director General of Foreign Trade in relaxation of the provision as in Para 2.55 (d) of the Handbook of Procedure, 2015-20, notifies as under:-

The validity of recognition of the Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs) included in Appendix 2G of the Appendices and Aayat Niryat Forms (A&ANF) of Foreign Trade Policy (2015-20), which are going to complete their original or extended tenure on or before 30.6.2020, is extended up to 30.9.2020.

Effect of this Public Notice: Validity of the recognition of Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs) as listed in the Appendix 2G of A&ANF, whose validity expires on or before 30.6.2020, is extended up to 30.9.2020.

AMIT YADAV, Director Gen. of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.